

कार्यालय वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०, बाँदा

पत्रांक 5455 / 33 / दिनांक: बाँदा : मई 24 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ ।

विषय :- जनपद-चित्रकूट में राष्ट्रीय मार्ग सं०-76/35 (इलाहाबाद से बाँदा मार्ग) के किनारे 332 किमी० से 349 किमी० (ओबरी से कटिया तक) प्रस्तावित 33/11 के०वी० विद्युत लाइन निर्माण हेतु प्रभावित 25.5 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 325 वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगज लखनऊ के पत्र सं०-08 बी/यू०पी०/04/38/2018/एफ०सी०/74 दिनांक 25.04.2018 एवं आपका पत्रांक-3071/11 सी दिनांक 04.05.2018 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट का पत्रांक 4674/33-1 दिनांक 22.05.2018 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है चित्रकूट वन प्रभाग द्वारा ऑन लाइन प्रेषित किये गये प्रोपोजल सं०-FP/UP/TRANS/29629/2017 में 04 बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्न प्रकार प्रेषित है -

Sl. No.	Rectification Point	Compliance
1-	The SOI toposheet of proposed land to be diverted as well as CA land has not been submitted.	प्रस्ताव के पेज सं०-53 पर संलग्न है
2-	Comments on alternative route has not been submitted .	प्रस्ताव के पेज सं०-28 पर संलग्न है ।
3-	Area calculation has to be exact for oblique crossing of transmission lines.	प्रस्ताव के पेज सं०-31 व 32 पर संलग्न है ।
4-	Reference of rights of primitive tribes and pre agricultural communities not mentioned in FRA certificate	प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

अतः संशोधित प्रस्ताव पुनः 03 मूल प्रतियों में हार्ड कापी सहित ऑन लाइन कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार 03 मूल प्रतियों में ।

भवदीय



(भीमसेन)

वन संरक्षक,

चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक ।

प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट वन प्रभाग को पत्र सं०-4674/33-1 दिनांक 22.05.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(भीमसेन)

वन संरक्षक,

चित्रकूटधाम वृत्त, बाँदा